कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
व्यवस्थापन "घ" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

पत्रांकः–7477/61 व्यघ–सा0/12

दिनांकः–07/12/2012

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पदों पर संविदा के आधार पर क्षैतिज आरक्षण के तहत रिक्त पदों पर अल्पकालिक तैनाती हेतु ₹ 15,000.00 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है जो अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता रखता हो आवेदन कर सकता है।

कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पदों का विवरण

क्र0सं0	श्रेणी (जाति)	कुल रिक्त पद	क्षैतीज आरक्षण के तहत रिक्त पदों की संख्या						कुल
			महिला (30%)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (2%)	विकलांग (3%)	भूतपूर्व सैनिक (5%)	उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी (10%)	कुशल खिलाड़ी (4%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सामान्य	189	57	04	06	09	19	08	103
2	अनु0जाति	43	13	01	01	02	04	02	23
3	अनु0जनजाति	08	02	–	–	–	01	–	03
4	अन्य पिछडा वर्ग	32	10	01	01	02	03	01	18
	योग	272	82	06	08	13	27	11	147

योग्यतायेः–

1. संविदा पर रखने हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.12 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिये।
2. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयुसीमा में शासनादेशानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

न्यूनतम अर्हतायेः–

1. कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटैक्निक से सिविल अभियान्त्रिकी में डिप्लोमा होना आवश्यक है।

चयन प्रकियाः–

1. संविदा पर तैनाती हेतु लिखित एवं साक्षात्कार की प्रकिया नही अपनायी जायेगी, वरन मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा में प्राप्त अंको के आधार पर श्रेष्ठता सूची (मैरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी और उसी के आधार पर तैनाती हेतु चयन किया जायेगा।

क्रमशः– पेज–2 पर

2. चयनोपरान्त अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों का विभाग द्वारा सत्यापन कराये जाने पर यदि प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण/गलत पाये जाते है तो अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी एवं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु उसका कोई दावा मान्य नही होगा।

3. संविदा पर तैनाती हेतु चयन के उपरान्त तैनाती आदेश निर्गत होने से पूर्व चयनित कार्मिक को निर्धारित प्रारूप (संलग्नक 2) पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

4. संविदा में तैनात कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के द्वारा पूर्व निर्धारित/प्रचलित कर्तव्यों का निर्वहन किया जायेगा तथा नियत समयावधि के लिये इनका कोई मुख्यालय निर्धारित नही किया जायेगा वरन कार्यवार एवं कार्य की आवश्यकतानुसार इनकी तैनाती खण्ड किसी भी कार्य पर की जायेगी और आवश्यकता न रहने पर तत्काल दूसरे खण्ड अथवा कार्य पर तैनात किया जा सकेगा।

5. सँविदा के आधार पर तैनात कनिष्ठ अभियन्ता को प्रतिमाह नियत मानदेय प्रदान किया जायेगा।

6. संविदा पर तैनात कार्मिक को उपरोक्तानुसार निर्धारित एवं एकमुश्त मानदेय के अतिरिक्त नियमित कार्मिक की भांति अनुबन्ध में यथा इंगित सामान्य यात्रा भत्ता (स्थानान्तरण भत्ता को छोड़कर) एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य होंगी।

7. उक्त आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 06.01.2013 तक इस कार्यालय को उपलब्ध करा दे। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. आवेदन पत्र के साथ अपना पता लिखा लिफाफा प्रेषित किया जाना आवश्यक है (लिफाफे पर अनिवार्य रूप से ₹ 30.00 मात्र का डाक टिकट लगा हो)।

नोटः– पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।

प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
व्यवस्थापन "घ" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

पत्रांकः–716/61 व्यघ–सा0/12 — दिनांकः–07/12/2012

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) के पदों पर संविदा के आधार पर क्षैतिज आरक्षण के तहत रिक्त पदों पर अल्पकालिक तैनाती हेतु ₹ 15,000.00 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है जो अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता रखता हो आवेदन कर सकता है।

कनिष्ठ अभियन्ता (यात्रिक) के पदों का विवरण

क्र0सं0	श्रेणी (जाति)	कुल रिक्त पद	क्षैतीज आरक्षण के तहत रिक्त पदों की संख्या						कुल
			महिला (30%)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (2%)	विकलांग (3%)	भूतपूर्व सैनिक (5%)	उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी (10%)	कुशल खिलाड़ी (4%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सामान्य	32	10	01	01	02	03	01	18
2	अनु0जाति	10	03	–	–	01	01	–	05
3	अनु0जनजाति	02	01	–	–	–	–	–	01
4	अन्य पिछडा वर्ग	08	02	–	–	–	01	–	03
	योग	52	16	01	01	03	05	01	27

योग्यतायेः–

1. संविदा पर रखने हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.12 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिये।
2. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयुसीमा में शासनादेशानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

न्यूनतम अर्हतायेः–

1. कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) के पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटैक्निक से यांत्रिक अभियान्त्रिकी में डिप्लोमा होना आवश्यक है।

चयन प्रकियाः–

1. संविदा पर तैनाती हेतु लिखित एवं साक्षात्कार की प्रकिया नही अपनायी जायेगी, वरन मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा में प्राप्त अंको के आधार पर श्रेष्ठता सूची (मैरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी और उसी के आधार पर तैनाती हेतु चयन किया जायेगा।

क्रमशः– पेज–2 पर

2. चयनोपरान्त अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों का विभाग द्वारा सत्यापन कराये जाने पर यदि प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण/गलत पाये जाते है तो अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी एवं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु उसका कोई दावा मान्य नही होगा।

3. संविदा पर तैनाती हेतु चयन के उपरान्त तैनाती आदेश निर्गत होने से पूर्व चयनित कार्मिक को निर्धारित प्रारूप (संलग्नक 2) पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

4. संविदा में तैनात कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) के द्वारा पूर्व निर्धारित/प्रचलित कर्तव्यों का निर्वहन किया जायेगा तथा नियत समयावधि के लिये इनका कोई मुख्यालय निर्धारित नही किया जायेगा वरन कार्यवार एवं कार्य की आवश्यकतानुसार इनकी तैनाती खण्ड किसी भी कार्य पर की जायेगी और आवश्यकता न रहने पर तत्काल दूसरे खण्ड अथवा कार्य पर तैनात किया जा सकेगा।

5. संविदा के आधार पर तैनात कनिष्ठ अभियन्ता को प्रतिमाह नियत मानदेय प्रदान किया जायेगा।

6. संविदा पर तैनात कार्मिक को उपरोक्तानुसार निर्धारित एवं एकमुश्त मानदेय के अतिरिक्त नियमित कार्मिक की भांति अनुबन्ध में यथा इंगित सामान्य यात्रा भत्ता (स्थानान्तरण भत्ता को छोड़कर) एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य होंगी।

7. उक्त आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 06.01.2013 तक इस कार्यालय को उपलब्ध करा दे। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. आवेदन पत्र के साथ अपना पता लिखा लिफाफा प्रेषित किया जाना आवश्यक है (लिफाफे पर अनिवार्य रूप से ₹ 30.00 मात्र का डाक टिकट लगा हो)।

नोटः– पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।

प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
व्यवस्थापन "घ" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

पत्रांकः–748/61 व्यघ–सा0/12 **दिनांकः–07/12/2012**

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पदों पर संविदा के आधार पर क्षैतिज आरक्षण के तहत रिक्त पदों पर अल्पकालिक तैनाती हेतु ₹ 15,000.00 (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है जो अभ्यर्थी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता रखता हो आवेदन कर सकता है।

कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पदों का विवरण

क्र0सं0	श्रेणी (जाति)	कुल रिक्त पद	क्षैतीज आरक्षण के तहत रिक्त पदों की संख्या						कुल
			महिला (30%)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (2%)	विकलांग (3%)	भूतपूर्व सैनिक (5%)	उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी (10%)	कुशल खिलाड़ी (4%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सामान्य	07	02	–	–	–	01	–	03
2	अनु0जाति	05	02	–	–	–	01	–	03
3	अनु0जनजाति	01	–	–	–	–	–	–	–
4	अन्य पिछडा वर्ग	04	01	–	–	–	–	–	01
	योग	17	05	–	–	–	02	–	07

योग्यतायेः–

1. संविदा पर रखने हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.07.12 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिये।
2. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयुसीमा में शासनादेशानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

न्यूनतम अर्हतायेः–

1. कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पद हेतु किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटैक्निक से विद्युत अभियान्त्रिकी में डिप्लोमा होना आवश्यक है।

चयन प्रकियाः–

1. संविदा पर तैनाती हेतु लिखित एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया नही अपनायी जायेगी, वरन मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा में प्राप्त अंको के आधार पर श्रेष्ठता सूची (मैरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी और उसी के आधार पर तैनाती हेतु चयन किया जायेगा।

क्रमशः– पेज–2 पर

2. चयनोपरान्त अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों का विभाग द्वारा सत्यापन कराये जाने पर यदि प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण/गलत पाये जाते है तो अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी एवं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु उसका कोई दावा मान्य नही होगा।

3. संविदा पर तैनाती हेतु चयन के उपरान्त तैनाती आदेश निर्गत होने से पूर्व चयनित कार्मिक को निर्धारित प्रारूप (संलग्नक 2) पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

4. संविदा में तैनात कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के द्वारा पूर्व निर्धारित/प्रचलित कर्तव्यों का निर्वहन किया जायेगा तथा नियत समयावधि के लिये इनका कोई मुख्यालय निर्धारित नही किया जायेगा वरन कार्यवार एवं कार्य की आवश्यकतानुसार इनकी तैनाती खण्ड किसी भी कार्य पर की जायेगी और आवश्यकता न रहने पर तत्काल दूसरे खण्ड अथवा कार्य पर तैनात किया जा सकेगा।

5. संविदा के आधार पर तैनात कनिष्ठ अभियन्ता को प्रतिमाह नियत मानदेय प्रदान किया जायेगा।

6. संविदा पर तैनात कार्मिक को उपरोक्तानुसार निर्धारित एवं एकमुश्त मानदेय के अतिरिक्त नियमित कार्मिक की भांति अनुबन्ध में यथा इंगित सामान्य यात्रा भत्ता (स्थानान्तरण भत्ता को छोड़कर) एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य होंगी।

7. उक्त आवेदन पत्र पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 06.01.2013 तक इस कार्यालय को उपलब्ध करा दे। उक्त तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. आवेदन पत्र के साथ अपना पता लिखा लिफाफा प्रेषित किया जाना आवश्यक है (लिफाफे पर अनिवार्य रूप से ₹ 30.00 मात्र का डाक टिकट लगा हो)।

नोटः– पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।

प्रमुख अभियन्ता

संलग्नक –1

आवेदन पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट साइज फोटो

1. आवेदित पद का नाम...

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)...

(अंग्रेजी में)...

3. पिता/पति का नाम...

4. जन्मतिथि (अंको में) ....

(शब्दों में) ....

5. आरक्षित श्रेणी...

6. शैक्षिक योग्यता (हाईस्कूल एवं उससे ऊपर का विवरण)...

क0सं0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत

7. कार्य अनुभव (यदि हो) का विवरण ....

संस्था का नाम	पदनाम	कार्य की अवधि दिनांक ......से दिनांक .... तक	कुल अवधि	कार्य की प्रकृति

8. स्थाई पता ....

....

9. पत्राचार का पता ....

....

10. अन्य कोई विवरण (यदि कोई हो) ....

....

संलग्नकों का विवरण

1. शैक्षिक/प्राविधिक योग्यता प्रमाण पत्र 2. हाईस्कूल प्रमाण पत्र 3. जाति प्रमाण पत्र 4. मूल निवास प्रमाण पत्र 5. चरित्र प्रमाण पत्र 6. अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) 7. अन्य प्रमाण पत्र।

मैं, ...सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सभी सूचनायें सही हैं। यदि इसमें कोई तथ्य असत्य पाया जाए तो मेरा आवेदन रद्द कर दिया जाए अथवा संविदा पर चयन हो जाने की स्थिति में संविदा निरस्त कर दी जाए। मैं उत्तराखण्ड के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में सेवा करने को तैयार हूँ।

दिनांक ....

स्थान ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ....

14/11/07

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन

संलग्नक –2

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबंध वर्ष.........................के......................माह के......................दिनांक को प्रथम पक्ष श्री/कु0/श्रीमती......................और उत्तराखण्ड के राज्यपाल (जिसे इसमें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है) के मध्य निष्पादित किया गया है ;

जबकि प्रथम पक्ष इस अनुबंध में अन्तर्विष्ट शर्तों के अधीन अपनी सेवाए देने को सहमत हो गया है ;

अतएवं, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ निम्नवार करार करता है कि –

प्रथम पक्ष ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.................................... निवासी...लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर, नियुक्ति पत्र में योगदान दिए जाने की तारीख से यथा इंगित 01 वर्ष की अवधि अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति की तारीख तक, जो भी पहले हो, के लिए पदों के विषय में विज्ञापन संख्या .... दिनांक ....में उल्लिखित शर्तों से पूर्णतः सहमत है और निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हुए संविदा पर योगदान देने हेतु सहमति/बचनबद्धता देता/देती है।

1. विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड क्षेत्र में कहीं भी तैनाती/स्थानान्तरित करने पर प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
2. संविदा पर तैनाती की अधिकतम अवधि एक वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले हो, तक की होगी और उक्त अवधि समाप्त होने पर उक्त तैनाती से प्रथम पक्षकार स्वतः हट जाएगा।
3. विभाग द्वारा नियमित चयन के समय उक्त तैनाती का लाभ दिए जाने हेतु प्रथम पक्षकार किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करेगा/करेगी।
4. प्रथम पक्ष विभाग द्वारा देय नियम मासिक मानदेय रू0............... एवं सामान्य यात्रा भत्ता (पदीय सामान्य अनुमन्यता श्रेणी अनुसार) के अतिरिक्त अन्य किसी भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं अन्य किसी प्रकार के भत्ते हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेगा/करेगी।
5. प्रथम पक्षकार को वर्ष में 14 दिन के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त किसी प्रकार का अवकाश अथवा अवकाश वेतन देय नहीं होगा।
6. प्रथम पक्षकार अपना सम्पूर्ण समय उसे प्रदत्त कार्यों के लिए सुलभ कराएगा/कराएगी तथा सरकारी सेवकों की आचरण नियमावली सहित समय–समय

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन

पर विहित नियमों का अनुपालन करेगा/करेगी एवं ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा/करेगी, जो उसे समुनेदेशित किये जायेंगे।

7. प्रथम पक्ष की तैनाती निम्नानुसार समाप्त की जा सकेंगी :–

(एक) द्वितीय पक्ष द्वारा एक कैलेण्डर माह की लिखित सूचना देकर किसी भी समय, द्वितीय पक्ष की राय में इस अनुबंध के अधीन रहते हुए सेवा के दौरान अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया गया हो।

(दो) द्वितीय पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, यदि चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर द्वितीय पक्ष का समाधान हो जाता है कि प्रथम पक्ष अस्वस्थ है एवं अस्वस्थता के कारण उत्तराखण्ड में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए काफी समय तक अयोग्य रहने की सम्भावना है।

(तीन) द्वितीय पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के, यदि प्रथम पक्ष इस अनुबंध के किसी प्राविधान अथवा जिस शाखा में वह तैनात है, उसके किसी नियम की अवज्ञा या असंयम का दोषी पाया जाय।

(चार) इसके अतिरिक्त, इस अनुबंध के अधीन तैनाती के दौरान किसी भी समय प्रथम पक्ष को अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा बिना कोई कारण बताए एक माह की लिखित सूचना देकर समाप्त की जा सकती है।

परन्तु यह कि उक्त प्रकार के नोटिस के बदले द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष अथवा उसके द्वारा द्वितीय पक्ष को एक माह के नियत मानदेय के समतुल्य राशि का संदाय किया जायेगा।

8. प्रथम पक्ष तदर्थ/अस्थाई/नियमित चयन के लिए कोई मांग नहीं करेगा/करेगी।

9. संविदा पर तैनाती के दौरान प्रथम पक्ष अथवा उसके परिवार के प्रति किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर द्वितीय पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा।

10. किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसके लिये इस अनुबंध में कोई प्राविधान नहीं किये गये है, उनके संबंध में द्वितीय पक्ष का विनिश्चिय अन्तिम होगा।

दिनांक ....
स्थान ....

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

दो गवाहों के हस्ताक्षर एवं पता–
1.

2.

प्रतिहस्ताक्षरित/सत्यापित

नियुक्ति प्राधिकारी

15/11/17
(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन